

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(29)/योजना/बजटघोषणा.28/2021-22/

दिनांक

निदेशक  
पशुपालन विभाग,  
जयपुर।

विषय:- संस्था विहिन ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में।  
संदर्भ:- बजट घोषणा 2021-22 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ.वी.1(2)  
(20)/योजना/बजटघोषणा 28/2021-22/204 दिनांक 13.05.21

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-28 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300 नवीन पशु चिकित्सा-उपकेन्द्र संस्था विहिन ग्राम पंचायतों में खोले जाने हैं। इस संबंध में निम्नलिखित 23 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को खोले जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम जंहा नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला जाना है।
1	झुन्झुनु	अलसीसर	कांट	कांट
2	टोंक	टोडारायसिंह	लाम्बाकलां	लाम्बाकलां
3	बांसवाडा	बांसवाडा	वीरपुर	वीरपुर
4	बांसवाडा	आनन्दपुरी	बडलिया	बडलिया
5	बांसवाडा	अरथुना	गामडी नारायण	गामडी नारायण
6	बांसवाडा	छोटी सरवन	छायन बडी	छायन बडी
7	बांसवाडा	सज्जनगढ	पालीछोटी	पालीछोटी
8	डूंगरपुर	सागवाडा	सूखापादर	सूखापादर
9	डूंगरपुर	बिछिपाडा	पालीसोडा	पालीसोडा
10	डूंगरपुर	बिछिपाडा	आसियावाव	आसियावाव
11	डूंगरपुर	झौथरी	उंटिया	उंटिया
12	प्रतापगढ	अरनोद	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा
13	प्रतापगढ	दलोट	बोरी अ	बोरी अ
14	प्रतापगढ	धरियावद	चरी	चरी
15	प्रतापगढ	धमोत्तर	थडा	थडा
16	उदयपुर	कुराबड	दांतीसर	दांतीसर
17	उदयपुर	कुराबड	शिशवी	शिशवी
18	उदयपुर	ऋषभदेव	पीपली अ	पीपली अ
19	उदयपुर	झल्लारा	हडमतिया कलां	हडमतिया कलां

20	उदयपुर	नयागांव	सकलाल	सकलाल
21	उदयपुर	गोगुन्दा	पांडलों का चोरा	पांडलों का चोरा
22	उदयपुर	सराडा	ढेलाई	ढेलाई
23	उदयपुर	झाडौल(फ)	गोगला	गोगला

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी संख्या 132100054 दिनांक 30.04.2021 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी का गयो है।

उक्त सूची में जिन स्थानों पर पूर्व में एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र स्वीकृत है, उन्हें सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक जे.के ट्रस्ट के प्रतिनिधी से चर्चा कर अन्य संस्था विहिन ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित कर निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त स्थानों पर नवसृजित उपकेन्द्रों के उपयोग हेतु राजकीय भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन की निःशुल्क सुविधा स्थानीय निकाय/संस्थाओं/ जनप्रतिनिधियों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

ह  
(कश्मी कौर)

शासन उप सचिव

दिनांक 31/03/2022

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(29)/योजना/बजट घोषणा.28/2021-22/3919-26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक वित्त (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, पशुपालन निदेशालय, जयपुर।
8. रक्षित पंजिका।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(21)/योजना/बजट-घोषणा.28/2021-22/3956-79

दिनांक 31.03.2022

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग।
2. अतिरिक्त निदेशक, उत्पादन/स्वास्थ्य/फार्म एवं सम्पदा/दवा प्रकोष्ठ/मोनितरिंग, निदेशालय पशुपालन विभाग।
3. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), /उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/अजमेर पशुपालन विभाग।
4. संयुक्त निदेशक, टोक/उदयपुर/प्रतापगढ/बांसवाडा/डूंगरपुर/झुन्झुनु/ पशुपालन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त केन्द्रों से संबन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी भी ग्राम में पूर्व से कोई विभागीय संस्था स्वीकृत नहीं है।
5. संयुक्त निदेशक सांख्यिकी/प्रजनन एवं गौशाला निदेशालय पशुपालन विभाग।
6. उप निदेशक विस्तार/कम्प्यूटर शाखा निदेशालय पशुपालन विभाग।
7. प्रभारी संस्थापन ब-2, संख्याबल, निदेशालय पशुपालन विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(योजना)